

पत्रांक- 17/शि01-02/2016...../

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

प्रेषक,

मीना ठाकुर,
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधीक्षक,
बोकारो।

राँची, दिनांक.....

विषय:- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-09 के तहत दिल्ली पब्लिक स्कूल, चास, बोकारो को मान्यता प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक 1176 दिनांक 07.09.17
महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र द्वारा दिल्ली पब्लिक स्कूल, चास, बोकारो को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-09 के तहत मान्यता प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया था। प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा झारखंड निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 के अन्तर्गत विद्यालय को मान्यता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

तदनुसार अनुरोध है कि उपर्युक्त अधिनियम की धारा-12 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) में उल्लिखित प्रावधान तथा विषयांकित विद्यालय द्वारा 25 प्रतिशत अभिवंचित वर्ग के बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करने की शर्त के अधीन प्रपत्र-2 में विद्यालय को मान्यता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(मीना ठाकुर)

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापक 17/शि01-02/2016....1648.... राँची, दिनांक29/11/17....

प्रतिलिपि:- सचिव, दिल्ली पब्लिक स्कूल, चास, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

DELHI PUBLIC SCHOOL, CHAS

M. Virajidharan
Pro. Vice Chairman

Rajesh Kumar

(मीना ठाकुर)
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

